

परियोजनाका नाम :- जनपद हरिद्वार में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता —नौरंगाबाद मोटर मार्ग, के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 2.320कि0मी0 प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक :-3379 मि 3-14 श्रांक ग्रांक के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट नौरंगाबाद (H120, Pop-352) की आवादी अभी तक किसी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 0.021 है0, सिविल सोयम भूमि 0.000 है0 एवं वन पंचायत भूमि 0.000 है0,एवं आरक्षित वनभूमि 1.603 है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में सलग्न, इन्डैक्स मानचित्र में अलग—अलग रंग से दर्शाया गया है।

सरेखण नं0 1 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद हरिद्वार में विकासखण्ड बहादराबाद के अन्तर्गत नजीबाबाद— हरिद्वार एन0एच0—74 के 22 वें कि0मी0 से प्रारम्भ होता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 2.320 कि0मी0 है। इस संरेखण में अधिकतर आरक्षित भूमि के अतिरिक्त भूमि आती है एवं नाप भूमि पड़ती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कम होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।



संरेखण नं0 2 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद हरिद्वार में विकासखण्ड बहादराबाद के अन्तर्गत नजीबाबाद— हरिद्वार एन0एच0—74 के 22 वें कि0मी0 से प्रारम्भ होता है।, इस समरेखण में शून्य हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित है इस समरेखण से स्थानीय जनता असहमत है, चूँकि समरेखण की ल0 अधिक है, इस समरेखण में वन भूमि, नाप भूमि, की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं0 2 को निरस्त कर संरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं01 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 2.320 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई तथा ल0 2.320 में आने वाली आरक्षितवन भूमि (2290 मी0) 1.603 है0 प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कर्निष्ट अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई सिंचाई खण्ड देहरादून सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई सिंचाई खण्ड देहरादून

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई सिंचाई खण्ड देहराद्न

